डीजीपी ने कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण पर चर्चा की

पुलिस मुख्यालय में हुई प्रदेशभर के रैंज आईजी, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेशभर के रैंज आईजी, पुलिस आयुक्तों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

डीजीपी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने, पुलिस की फील्ड विजिबिलिटी बढ़ाने और सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले तीन माह में उनके स्तर पर एक वर्ष से अधिक लंबित कोई भी प्रकरण नहीं रहना चाहिए। झूठे मुकदमों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।

इस बैठक में राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं के आधार पर संगठित अपराध, गैंगस्टर्स के विरुद्ध चल रही कार्रवाई और विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने प्रभावित जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर फोकस्ड कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेशभर के रैंज आईजी, पुलिस आयुक्तों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

- अगले 3 माह में 1 वर्ष से अधिक लंबित कोई भी प्रकरण नहीं रहना चाहिए, झूठे मुकदमों पर कड़ी कार्रवाई हो : राजीव शर्मा

आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस दिशा में और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही नवीन आपराधिक कानूनों में सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग, ई-सम्मन और वारंट की तामील तथा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

डीजीपी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में रेंजवार एरिया डोमिनेशन अभियान तथा मालखानों में जब्त सामान के निस्तारण की भी समीक्षा की गई।

बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को भी प्रमुखता से लिया गया। भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मृत्यु दर पर चिंता जताते हुए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी श्री शर्मा ने हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह दो दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने इंटरसेप्टर और ब्रेथ एनलाइजर के अधिकतम उपयोग के माध्यम से प्रभावी चेकिंग करने को कहा। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए पुलिस लाइन एवं कार्यालय परिसरों में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम और बेहतर अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी एसपी को इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

डीजीपी शर्मा ने निर्देश दिए कि पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों को ऑनलाइन परिवाद दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उन्हें अपने प्रकरण पर की जा रही कार्रवाई की नियमित जानकारी मिलती रहे और समीक्षा प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सके। बैठक में महिला सुरक्षा गतिविधियों के प्रभावी संचालन, एसडीआरएफ की सतर्क कार्यप्रणाली, जन सूचना रजिस्टर के संधारण, अभय कमांड सेंटर से जुड़े कैमरों की स्थिति, निजी कैमरों के एकीकरण, पुलिस थानों में महिला कर्मियों के लिए सुविधाओं तथा पुलिस लाइन परिसरों में सामुदायिक सुविधाओं के उन्नयन की भी समीक्षा की गई।

बैठक में डीजी (ट्रेफिक व ट्रेनिंग) अनिल पालीवाल, डीजी (एसओजी) आनंद श्रीवास्तव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी.के.सिंह, एडीजी (क्राइम) बिपीन कुमार पांडे, एडीजी (पीएम एंड डब्ल्यू) डॉ. प्रशाखा माथुर, एडीजी (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ, एडीजी (सिविल राइट) लता मनोज कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से मंत्री एवं विधायकों की शिष्टाचार मुलाकात

विकास कार्यों की प्रगति, मूलभूत सुविधाओं और आमजन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री से जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, लालसोट विधायक रामविलास मीना, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकडा, खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल, सादुलशहर विधायक गुरुवीर सिंह, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा तथा कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा आमजन से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री गांव-गांव पहुंचकर सुन रहे जनता की बात

ग्राम विकास चौपाल बना ग्रामीण बदलाव का बड़ा मंच

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुई ग्राम विकास चौपाल अब राजस्थान में ग्रामीण विकास और जनसंवाद का प्रभावी मंच बनती जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश देकर ग्रामोदय से अंत्योदय के संकल्प को जमीन पर उतार रहे हैं।

प्रदेश के अब तक पांच जिलों में आयोजित चौपालों के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीणों के बीच पहुंचे और चार गांवों में रात्रि विश्राम कर आमजन से सीधा फीडबैक लिया। चौपालों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी गईं। कई मामलों में मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्णय लेकर स्थानीय विकास कार्यों को मंजूरी भी दी।

सीकर जिले के जाजोद गांव में छात्राओं की मांग पर विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का निर्णय हो या अजमेर जिले के कड़ेल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा, ग्राम विकास चौपालों के जरिए त्वरित फैसलों ने ग्रामीणों में भरोसा बढ़ाया है।

अब मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव वागड़ क्षेत्र होगा। 20 मई को मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र स्थित चुड़ादा गांव पहुंचेंगे।

यहां ग्रामीणों से संवाद के साथ रात्रि विश्राम भी करेंगे। अगले दिन 21 मई की सुबह मुख्यमंत्री गांव का पैदल भ्रमण कर घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और योजनाओं की जमीनी स्थिति जानेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं 21 मई को ही मुख्यमंत्री डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव पहुंचेंगे, जहां ग्राम विकास चौपाल के साथ रात्रि विश्राम और अगले दिन सुबह आमजन से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

सरकार का कहना है कि ग्राम विकास चौपाल केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान का सक्रिय माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री अब तक प्रतापगढ़ के बम्बोरी, सीकर के जाजोद, अजमेर के कड़ेल, जालोर के पंसेरी और जयपुर के ठिकरिया गांव में चौपाल कर चुके हैं।

इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को अपनाते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है। साथ ही वे अब विभिन्न दौरों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं। वागड़ क्षेत्र के आगामी दौरे में भी मुख्यमंत्री ईवी वाहन से ही सफर करेंगे।

शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश को वापस लेने पर रोक

हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और डीईओ, मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-2 में स्थायी हो चुके शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश को वापस लेने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और डीईओ, मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसिंह चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का इस शिक्षक भर्ती में चयन होकर उन्हें साल 2023 में नियुक्त किया और उन्होंने विभिन्न महीनों में शिक्षक पद की सेवाएं ग्रहण कर ली। भर्ती के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में दायर याचिका पर अदालत ने 28 नवंबर, 2023 को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए। वहीं यह भी आदेश दिए गए कि यदि कोई अभ्यर्थी संशोधित मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो संशोधित परिणाम से पूर्व सेवा में होने के आधार पर उसका कोई अधिकार पैदा नहीं होगा। एकलपीठ के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने गत 19 अगस्त को आदेश जारी कर एकलपीठ की ओर से दिए इस निर्देश को निरस्त कर दिया गया। वहीं खंडपीठ के आदेश के बाद गत नवंबर और फरवरी माह में याचिकाकर्ताओं को स्थायी भी कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि गत 12 मार्च को विभाग ने एकलपीठ के आदेश के आधार पर उन्हें स्थायी करने के आदेश को वापस ले कर उनसे रिकवरी निकाल दी, जबकि एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ पूर्व में ही निरस्त कर चुका है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद को महिला का दोस्त बताकर उसे ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से बंधक बनाने के आरोप के साथ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए राशि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चन्द्र प्रकाश सोलंकी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस की ओर से महिला और उसके पिता के बयान दर्ज किए हैं। जिसमें महिला ने कहा कि उसे किसी भी व्यक्ति ने बंधक नहीं बनाया है और वह अपने ससुराल में रह रही है। इसी तरह उसके पिता ने भी कहा कि महिला अपनी इच्छा से ससुराल में रह रही है और वह किसी बंधन में नहीं है और न ही उस पर किसी तरह का दबाव है। ऐसे में मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया जाता है। याचिका में अधिवक्ता एआर खान ने अदालत को बताया कि उसकी बचपन की दोस्त को उसके ससुराल में बंधक बनाकर रखा गया है। ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह उसे बरामद कर अदालत में पेश करे। इस पर अदालत ने पूर्व में याचिकाकर्ता को याचिका की कोस्ट के तौर पर एक लाख रुपए जमा कराने को कहा था। वहीं अब अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

सड़क दुर्घटना का 85 लाख का क्लेम खारिज

फर्जी वाहन लिप्त करने वाले एएसआई, वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत कम 1, महानगर द्वितीय ने वाहन दुर्घटना में मौत का दावा कर 85 लाख रुपए का मुआवजा मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने आदेश की कॉपी एडीजी, सतर्कता को भेजते हुए एएसआई नंद लाल, वाहन स्वामी कैलाश चन्द और चालक पप्पू कुमार माली के खिलाफ कार्रवाई पर दो माह में अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश लोतिका देवी व अन्य की ओर से दायर क्लेम याचिका को खारिज करते हुए दिए। पीठासीन अधिकारी शिवकुमार ने अपने आदेश में कहा कि प्रागपुरा थाने के तत्कालीन एएसआई नंद लाल जांगिड़ ने याचिकाकर्ताओं को क्लेम दिलाने के लिए कार को घटना में लिप्त दिखाया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से अनुसंधान किया है। अदालत ने कहा कि एडीजी, सतर्कता एएसआई के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई जांच अधिकारी गलत रूप से चालान पेश करने का दुस्साहस ना कर सके। क्लेम याचिका में कहा गया कि 18 नवंबर 2018 को याचिकाकर्ता का पति गौतम कुमार अपने बेटे के साथ अपने पुत्र की सगाई की व्यवस्था देखने विराटनगर से पावटा जा रहे था। राजपुरा के पास वह मोटर साइकिल रोककर दूसरी बाइक पर आ रहे अपने भतीजे का इंतजार करने लगा। इतने में शाहपुरा की ओर से आ रही वैगन-आर कार ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया और बाद में एसएमएस में उसकी मौत हो गई। इसलिए उसके आश्रितों को 85 लाख रुपए का क्लेम दिलाया जाए। जिसका विरोध करते हुए निजी बीमा कंपनी के वकील जेके अग्रवाल ने कहा कि जिस वाहन से दुर्घटना होना बताया गया है, उसके खिलाफ दुर्घटना के कई अन्य मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। वाहन का इतने कम समय में इतनी दुर्घटनाओं में लिप्त होना शंका उत्पन्न करता है कि वाहन को मिथ्या बार-बार दुर्घटनाओं में लिप्त दिखाकर क्लेम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने क्लेम याचिका को खारिज करते हुए जांच अधिकारी एएसआई व वाहन मालिक के साथ चालक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

कर्मचारी महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

जयपुर । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।

महासंघ के पदाधिकारी कुलदीप यादव, देवेंद्र सिंह नरूका और अजयवीर सिंह ने संयुक्त बयान में बताया कि आरजीएचएस योजना को निजी बीमा कंपनी को सौंपने के बजाय पूर्व की भांति सरकार के माध्यम से संचालित रखा जाए। साथ ही रोके गए सरेंडर लीव का भुगतान, पदोन्नित में दो वर्ष की शिथिलता तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग भी उठाई गई है। महासंघ ने अपने लंबित 25 सूत्रीय मांगपत्र पर सरकार से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है। महासंघ ने आंदोलन के लिए तीन चरणों की रणनीति बनाई है। प्रथम चरण में 20 मई को प्रदेशभर में जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर 25 से 30 मई तक कर्मचारी प्रतिदिन दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे।

श्री नृसिंह आर्केड स्कीम : करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला गोपाल मीणा गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी में जमीन और आवासीय स्कीमों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगरिया थाना पुलिस ने चतरपुरा स्थित श्री नृसिंह आर्केड आवासीय स्कीम में करोड़ों रुपए की जालसाजी के मामले में पिछले छह महीने से फरार चल रहे आरोपी खातेदार गोपाल मीणा गोपाल मीणा (62) निवासी रामनगरिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि रामनगरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चतरपुरा में करीब 72 बीघा बेशकीमती जमीन स्थित है। वर्ष 2003 में जमीन के मूल खातेदारों ने यह भूमि डेवलपर्स को बेच दी थी। इसके एवज में खातेदारों ने चेक और नकद के रूप में पूरी राशि भी प्राप्त कर ली थी। जमीन के विकास के लिए डेवलपर्स को बाकायदा 'मुख्तयार आम' (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी दिया गया था।

इसके बाद डेवलपर्स ने उक्त भूमि पर 'श्री नृसिंह आर्केड' नाम से आवासीय स्कीम विकसित कर आम लोगों को भूखंड बेच दिए। लेकिन जब भूखंडधारकों ने अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहा तो खातेदारों ने विवाद खड़ा कर निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया और वर्षों तक निर्माण नहीं होने दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन की पूरी कीमत वसूलने के बावजूद दोबारा उसी जमीन को अन्य पार्टी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की योजना बनाई थी। पीड़ितों की शिकायत पर रामनगरिया थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी गोपाल मीणा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और पिछले छह महीने से फरार चल रहा था। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व और सहायक पुलिस आयुक्त के सुपरविजन में रामनगरिया थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में उपनिरीक्षक मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल राकेश तथा कांस्टेबल शिवपाल और राहुल शामिल थे। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और मैन्युअल पुलिसिंग के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी और उसे गिरफ्तार कर लिया।

- राजधानी जयपुर में जमीन और आवासीय स्कीमों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भू-माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसा

'गैस-पेट्रोल पर भ्रम फैलाकर विपक्ष कर रहा नाटकबाजी'

जयपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गैस-तेल संकट पर कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की हल्के स्तर की राजनीति करना उचित नहीं है। विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि वर्तमान में गल्फ देशों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और वहां युद्ध जैसे हालात हैं। उत्पादन केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशहित में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। हार्मुज मार्ग से आज भी भारतीय पोत सुरक्षित आ-जा रहे हैं और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। विपक्ष को बेवजह भ्रम फैलाने के बजाय सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष गैस और पेट्रोल को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाकर केवल नाटकबाजी कर रहा है।

नर्सिंग अधिकारी ने खुद का फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तबादला आदेश जारी करने का मामला सामने आया है। नर्सिंग अधिकारी दिलीप सिंह पर सिरोही से कोटपुतली-बहरोड़ तबादला करवाने के लिए खुद का फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर तैयार करने का आरोप लगा है। मामले में जयपुर के अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

आरोप है कि दिलीप सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के नाम से 24 अप्रैल 2026 का फर्जी आदेश जारी किया। आदेश में निदेशक के हस्ताक्षरों की नकल कर इसे वास्तविक रूप देने का प्रयास किया गया। इसमें कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल की अनुशंसा और विभागीय आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया था। फर्जी आदेश के अनुसार दिलीप सिंह, जो सिरोही जिले के ब्लॉक रेवदर स्थित पीएचसी मंदार में कार्यरत थे, उनका तबादला सीएचसी राजनोता, कोटपुतली-बहरोड़ में दर्शाया गया था। आदेश में तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए थे।

मामले का खुलासा होने पर निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और विभाग को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं।

मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ''राजस्थान सरकार'' लिखी गाड़ियों के चालान काटे

राजस्थान विधानसभा के सामने खड़े होकर मोबाइल मजिस्ट्रेट पीयूष चावला ने ''राजस्थान सरकार'' लिखी और ''लाल पट्टी'' लगी हुई प्राईवेट गाड़ियों (निजी वाहनों) के चालान करवाए। ट्रेफिक पुलिस की इस कार्रवाई से एकबारगी तो हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपने जानकारों से फोन करवाते दिखे तो कुछ चालान की बात पर बहस करते नजर आए। वहीं कुछ लोग चुपचाप अपनी गलती मानकर गाड़ियों पर लगे स्टीकर स्वयं उतारते दिखे। फोटो-राष्ट्रदूत